भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5147
दिनांक 24 मार्च, 2026 / 03 चैत्र, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रग माफिया

†5147. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वेः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नशा मुक्त भारत अभियान के बावजूद, पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के प्रमुख पत्तनों, विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों और सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक पदार्थों की जब्ती में भारी वृद्धि हुई है और यदि हां, तो ऐसी जब्त की गई खेपों के मूल देशों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या खुफिया एजेंसी की रिपोर्टों ने इस बात की पुष्टि की है कि जम्मू-कश्मीर और पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए मादक पदार्थों से प्राप्त धन का उपयोग करने हेतु पाकिस्तान प्रायोजित नार्को- आतंकवाद का सहारा लिया जा रहा है;
(ग) ड्रोन के माध्यम से मादक पदार्थों की सीमा पार तस्करी को रोकने के लिए अपनाई गई एंटी-ड्रोन तकनीक किस हद तक प्रभावी रही है और पिछले एक वर्ष के दौरान निष्क्रिय/नष्ट किए गए ड्रोनों की संख्या कितनी है; और
(घ) क्या सरकार ने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया सरगनाओं को चिह्नित किया है और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने सरगनाओं को दंडित किया गया है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): सभी मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) द्वारा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों (2023 से 2025) के दौरान स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत गुजरात और महाराष्ट्र सहित प्रमुख बंदरगाहों से जब्त किए गए मादक पदार्थों का ब्योरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। सभी मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) द्वारा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को दी गई जानकारी के अनुसार सीमावर्ती राज्यों में पिछले तीन वर्षों (2023 से 2025) के दौरान जब्त किए गए मादक पदार्थों की मात्रा का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ख): उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विदेश में स्थित अपराधी जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए धन जुटाने हेतु सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी करके नार्को-आतंकवाद को बढ़ावा देने में शामिल हैं।

(ग): वर्ष 2025 के दौरान, भारत-पाकिस्तान सीमा पर 292 ड्रोन/मानव रहित हवाई वाहन जब्त/बरामद किए गए।

(घ): मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में वांछित 66 भगोड़ों की पहचान कर ली गई है। इन भगोड़ों के संबंध में कुल 24 रेड नोटिस और 25 ब्लू नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा, वर्ष 2025 में संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया और श्रीलंका से पांच भगोड़ों को सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित किया गया।

लोक सभा अता. प्रश्न सं. 5147, दिनांक 24.03.2026

अनुलग्नक-I

सभी मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) द्वारा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों (2023 से 2025) के दौरान स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत गुजरात और महाराष्ट्र सहित प्रमुख बंदरगाहों से जब्त किए गए मादक पदार्थों का ब्योरा

क्र.सं.	वर्ष	बंदरगाह का नाम	एजेंसी	जब्ती की तारीख	मादक पदार्थ	मात्रा	स्रोत
1	2023	एवी जोशी सीएफएस, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात	डीआरआई	08/08/2023	कोकीन	1 किग्रा.	इक्वाडोर
2	2024	सीएफएस, मुंद्रा, गुजरात	सीमा शुल्क	28/07/2024	ट्रामाडोल टैबलेट	68,78,000 (संख्या में)	भारत
3		सीएफएस, मुंद्रा, गुजरात	सीमा शुल्क	13/09/2024	ट्रामाडोल टैबलेट	25,41,000 (संख्या में)	भारत
4		सीएफएस, कोलकाता	सीमा शुल्क	28/10/2024	ट्रामाडोल इंजेक्शन	1000 (संख्या में)	फिलीपींस
5	2025	फॉर्म-F डेटाबेस के अनुसार NCB तथा अन्य डीएलईए के संबंध में कोई जब्ती नहीं।					

स्रोतः एनसीबी

लोक सभा अता. प्रश्न सं. 5147, दिनांक 24.03.2026

अनुलग्नक-II

सभी मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) द्वारा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) को दी गई जानकारी के अनुसार सीमावर्ती राज्यों में पिछले तीन वर्षों (2023 से 2025) के दौरान जब्त किए गए मादक पदार्थों की मात्रा का विवरण

क्र. सं.	राज्य	जब्त मादक पदार्थ (किग्रा में)		
		2023	2024	2025
1	गुजरात	26,624	20,971	22,758
2	जम्मू एवं कश्मीर	11,066	5,708	4,491
3	पंजाब	47,475	46,227	1,16,695
4	राजस्थान	2,94,582	2,45,576	2,25,933
5	अरुणाचल प्रदेश	1,671	2,631	7,037
6	मणिपुर	2,124	284	2,556
7	मिजोरम	1,195	1,967	2,233
8	नागालैंड	2,022	3,040	903
9	बिहार	62,314	41,048	49,964
10	सिक्किम	1	3	18
11	उत्तर प्रदेश	83,424	53,331	80,331
12	उत्तराखंड	1,981	2,725	2,997
13	पश्चिम बंगाल	63,695	1,31,991	75,948
14	असम	87,221	46,536	31,706
15	मेघालय	7,232	5,913	1,029
16	त्रिपुरा	75,328	38,236	46,346

स्रोतः एनसीबी
